अध्याय 3

विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन और संबद्धता प्रक्रिया

- **यूजीसी विनियम 2012 और एआईसीटीई विनियम 2014 विश्वविद्यालय और उसके तकनीकी कार्यक्रमों के लिए क्रमशः एनएएसी और एनबीए से अनिवार्य प्रत्यायन का प्रावधान करते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीजीएसआईपीयू के तीन चयनित विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज काफी समय से अनिवार्य एनएएसी/एनबीए प्रत्यायन के बिना कार्य कर रहे थे।**
- **संबद्ध कॉलेजों में आवश्यक भौतिक और शैक्षणिक अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त मूल्यांकन समिति (जेएसी) के निरीक्षणों की मौजूदा व्यवस्था अपर्याप्त थी, क्योंकि चयनित संबद्ध कॉलेजों में जेएसी द्वारा अनुकूल ग्रेडिंग, जेएसी रिपोर्ट की सिफारिशों का अनुपालन न करने और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं के अभाव के मामले थे।**
- **लेखापरीक्षा ने वार्षिक संबद्धता प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अर्थात - आवेदक कॉलेजों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना, जेएसी का गठन और उसकी रिपोर्टिंग, सरकार द्वारा एनओसी प्रदान करना तथा जीजीएसआईपीयू द्वारा संबद्धता जारी करना आदि में विलंब देखा।**
- **सरकार द्वारा नीतिगत दिशानिर्देशों में परिशोधन तथा प्रवेश विनियामक समिति और राज्य शुल्क विनियामक समिति के गठन में काफी विलंब हुआ।**

3.1 विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षण संस्थानों का अनिवार्य मूल्यांकन और प्रत्यायन) विनियम, 2012 प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान (एचईआई) के लिए दो बैचों के उत्तीर्ण होने या छह वर्ष के बाद, जो भी पहले हो, एक प्रत्यायन एजेंसी से अनिवार्य प्रत्यायन का प्रावधान है। यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय

मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) का प्रत्यायन अनिवार्य है। इसी प्रकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालय विभागों आदि में सभी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का अनिवार्य प्रत्यायन) विनियम, 2014 सभी तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए दो बैचों के उत्तीर्ण होने या छह वर्ष के बाद, जो भी पहले हो, अपने सभी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को अपनी प्रत्यायन एजेंसी (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) से प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है।

तीनों चयनित विश्वविद्यालयों ने अनिवार्य एनएएसी/एनबीए प्रत्यायन के बिना महत्वपूर्ण अवधि तक कार्य किया। विवरण **तालिका 3.1** में दिए गए हैं।

तालिका 3.1: प्रत्यायन रहित अवधि

विश्वविद्यालय का नाम	प्रत्यायन का प्रकार	कुल पाठ्यक्रम/बिना प्रत्यायन वाले पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रत्यायन रहित अवधि	टिप्पणी
जीजीएसआईपीयू	एनएएसी	प्रत्यायन विश्वविद्यालय के लिए है।	2018-23	विश्वविद्यालय ने एनएएसी प्रत्यायन के लिए आवेदन नहीं किया।
	एनबीए	30/30	2018-23	विश्वविद्यालय ने एनबीए प्रत्यायन के लिए आवेदन नहीं किया।
डीटीयू	एनएएसी	प्रत्यायन विश्वविद्यालय के लिए है।	2015-19	विश्वविद्यालय ने एनएएसी प्रत्यायन के लिए आवेदन नहीं किया।
	एनबीए	42/24	2018-23	छात्र-शिक्षक अनुपात एनबीए की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है और पीजी कार्यक्रमों के लिए संबंधित यूजी कार्यक्रम एनबीए से प्रत्यायन प्राप्त नहीं है।
डीपीएसआरयू	एनएएसी	प्रत्यायन विश्वविद्यालय के लिए है।	2020-23	विश्वविद्यालय ने नवंबर 2022 में एनएएसी प्रत्यायन के लिए आवेदन किया है।
	एनबीए	4/4	2020-23	विश्वविद्यालय ने एनबीए प्रत्यायन के लिए आवेदन नहीं किया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, जीजीएसआईपीयू से संबद्ध 88 संस्थानों में से 50 एनएएसी प्रत्यायन के बिना काम कर रहे थे और इनमें से 28 संबद्ध संस्थानों द्वारा संचालित 102 तकनीकी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम एनबीए प्रत्यायन के बिना प्रस्तुत किए जा रहे थे।

इन विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कार्यक्रमों को प्रत्यायन न मिलने के कारण उन्हें प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में किसी तृतीय पक्ष द्वारा आश्वासन नहीं मिल पाता, जिससे छात्र इन विश्वविद्यालयों/कार्यक्रमों में दाखिला लेने से हतोत्साहित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यूजीसी विनियम 2012 और एआईसीटीई विनियम 2014, क्रमशः एनएएसी और एनबीए प्रत्यायन के बिना संस्थानों को सभी अनुदान और वित्तीय सहायता रोकने का प्रावधान करते हैं। साथ ही, एनएएसी/एनबीए प्रत्यायन के बिना पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों में प्रवेश पाने के इच्छुक संभावित उम्मीदवारों को विभिन्न माध्यमों से सचेत करने का भी प्रावधान है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि एनएएसी से प्रत्यायन न मिलने से जीजीएसआईपीयू के कामकाज की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हुई है और एनबीए प्रत्यायन के संबंध में, तकनीकी कार्यक्रम चलाने वाले पांच विश्वविद्यालय स्कूलों ने आगामी शैक्षणिक सत्र जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक आवश्यक मापदंडों का पालन करते हुए एनबीए प्रत्यायन के लिए आवेदन करने हेतु पहले ही कदम उठाए हैं। विश्वविद्यालय ने सभी संबद्ध कॉलेजों को एनएएसी और एनबीए प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए निर्देश जारी किया है।

डीटीयू ने 24 तकनीकी कार्यक्रमों के गैर-प्रत्यायन (एनबीए) के लिए कम छात्र-शिक्षक अनुपात, संबंधित यूजी कार्यक्रमों को पीजी कार्यक्रमों के मामले में प्रत्यायन नहीं मिलने और कार्यक्रमों में कम प्रवेश को ज़िम्मेदार ठहराया (मार्च 2024)। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार के लिए डीटीयू द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति/भर्ती की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।

डीपीएसआरयू ने कहा (मई 2023) कि एनबीए प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए नवंबर 2022 में विभाग/स्कूल-वार समितियाँ गठित की गईं, परंतु आगे कोई

प्रगति नहीं हुई। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि वह विश्वविद्यालय के प्रत्यायन को लेकर चिंता को स्वीकार करता है।

इस प्रकार, उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय एनएएसी/एनबीए प्रत्यायन प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में अत्यंत लापरवाह थे, जिससे प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई तथा प्रत्यायन के अभाव में केंद्र सरकार के अनुदान के लिए अयोग्यता के कारण वित्तीय हानि भी हुई।

3.1.1 यूजीसी से धारा 12बी का दर्जा प्राप्त न होना

यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1972 के लागू होने के बाद स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय को तब तक कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा, जब तक कि आयोग, निर्धारित विषयों पर स्वयं संतुष्ट होने के बाद, ऐसे विश्वविद्यालय को ऐसे अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित न कर दे। इसके अतिरिक्त, यूजीसी विनियम 2012 में यह प्रावधान है कि यदि कोई विश्वविद्यालय एनएएसी द्वारा विधिवत प्रत्यायित नहीं है, तो उसे यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया जाएगा या मान्यता नहीं दी जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि **डीपीएसआरयू** ने अगस्त 2015 में यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत प्रत्यायन के लिए कार्यवाही शुरू की और उसे केवल अगस्त 2023 में एनएएसी से प्रत्यायन प्राप्त हुआ। उसे अभी तक यूजीसी से धारा 12बी के तहत प्रत्यायन नहीं मिली थी, जिससे वह यूजीसी से अनुदान प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो गया।

विभाग ने कहा कि डीपीएसआरयू ने यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता के संबंध में यूजीसी की टिप्पणियों के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की (नवंबर 2023), और यूजीसी का अंतिम निर्णय प्रतीक्षित था।

जीजीएसआईपीयू और **डीटीयू** को क्रमशः मार्च 2001 और दिसंबर 2012 में धारा 12बी के तहत प्रत्यायन दिया गया था।

सिफारिश 5: विश्वविद्यालयों को उनके अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों के लिए एनएएसी/एनबीए से प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए, संबद्धता प्रदान करने की व्यवस्था को मज़बूत करना चाहिए तथा शुल्क की अधिसूचना के लिए समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

3.2 जीजीएसआईपीयू से संस्थानों की संबद्धता की प्रक्रिया

यूजीसी अधिनियम के अध्याय 3 खंड (12ए) (1) (ए) में कहा गया है कि 'संबद्धता' में किसी कॉलेज के संबंध में, ऐसे कॉलेज को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता देना, ऐसे कॉलेज का विश्वविद्यालय के साथ जुड़ाव और ऐसे कॉलेज को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश देना शामिल है। विभिन्न आयोगों जैसे राधाकृष्णन आयोग (विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग) (1948-49) और कोठारी आयोग (शिक्षा आयोग), 1964-66 ने संबद्धता प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में 15 वर्षों की अवधि में कॉलेजों की संबद्धता प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सिफारिश की गई है। एनईपी का लक्ष्य सभी कॉलेजों को स्वायत्त उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान बनाना है।

तथापि, रा.रा.क्षे.दि.स. ने अभी तक संबद्ध संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने के संबंध में कोई नीति निर्धारित नहीं की है क्योंकि उसका तर्क है कि जीजीएसआईपीयू अधिनियम की धारा 5 (14) जीजीएसआईपीयू को कॉलेजों और संस्थानों को स्वायत्त घोषित करने का अधिकार देती है।

इस लेखापरीक्षा के दौरान गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) द्वारा दी गई संबद्धता से संबंधित प्रक्रिया और मुद्दों की जांच की गई। यह रा.रा.क्षे.दि.स. का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले सरकारी सहायता प्राप्त और स्व-वित्तपोषित संस्थानों को संबद्धता प्रदान करता है।

मौजूदा नियमों के अनुसार, संस्थानों को प्रत्येक कार्यक्रम/अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए अलग से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक है और संबद्धता की प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबद्धता चाहने वाले संस्थानों के पास संबंधित नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जैसे भूमि और भवन, पर्याप्त कक्षाएं और जनशक्ति, प्रयोगशालाएं/कार्यशालाएं, पुस्तकालय आदि उपलब्ध हैं। जीजीएसआईपीयू अधिनियम 1998 की धारा 4 के अनुसार, विश्वविद्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित किसी भी संस्थान को संबद्धता प्रदान कर

सकता है जो जीजीएसआईपीयू के नियमों और अध्यादेशों का पालन करने के लिए सहमत है।

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान, 25 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज और 88 स्व-वित्तपोषित कॉलेज (19 दिल्ली राज्य की सीमा से बाहर स्थित) जीजीएसआईपीयू से संबद्ध थे। दिल्ली में स्थित 94 संबद्ध कॉलेजों में से, **अनुलग्नक 1.1** में वर्णित 14 कॉलेजों (दो सरकारी सहायता प्राप्त और 12 स्व-वित्तपोषित संबद्ध कॉलेज) का आईडीईए सॉफ्टवेयर के साथ प्रतिस्थापन के बिना साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन (एसआरएसडब्ल्यूओआर) पद्धति का उपयोग करके विस्तृत संवीक्षा के लिए नमूना लिया गया था।

3.2.1 संस्थानों को संबद्धता प्रदान करना

आवेदक संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया उच्चतर शिक्षा निदेशालय (डीएचई), रा.रा.क्षे.दि.स. के नीतिगत दिशानिर्देशों (जनवरी 2016) और जीजीएसआईपीयू के अध्यादेश 1 (नवंबर 1999) द्वारा शासित होती है। जीजीएसआईपीयू द्वारा आवेदक कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने के विभिन्न चरणों को **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया

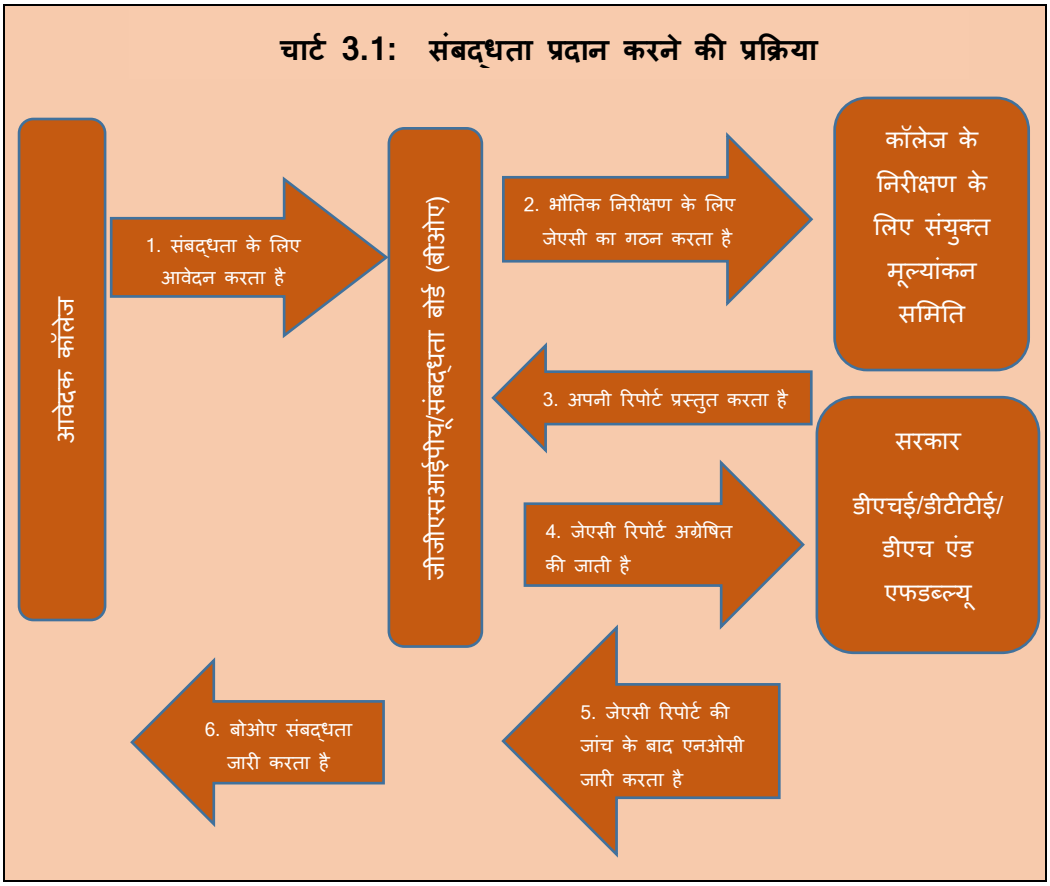

संबद्धता प्रक्रिया के संबंध में लेखापरीक्षा में देखे गए मुद्दों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.2.2 संयुक्त मूल्यांकन समिति का कार्य और उनकी रिपोर्टों का अनुपालन

जीजीएसआईपीयू के अध्यादेश 1 और डीएचई/डीटीटीई द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने के लिए डीएचई के नीतिगत दिशानिर्देश और निजी तौर पर प्रबंधित स्व-वित्तपोषित संस्थानों से संबंधित मामले, उपलब्ध भौतिक और शैक्षणिक अवसंरचना को सत्यापित करने के लिए आवेदक कॉलेज/संस्थान के परिसर में भौतिक दौरे के बाद संयुक्त मूल्यांकन समिति[1] की रिपोर्ट सामने लाते हैं, जो सरकार द्वारा एनओसी प्रदान करने और उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता का आधार है।

डीएचई, रा.रा.क्षे.दि.स. के नीतिगत दिशानिर्देशों (जनवरी 2016) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान जेएसी की निरीक्षण रिपोर्ट में श्रेणी 'ए' और श्रेणी 'बी' प्राप्त करने वाले संस्थान क्रमशः पांच वर्ष और तीन वर्ष के लिए एनओसी के पुनर्वैधीकरण के लिए पात्र थे। जेएसी के निर्धारित प्रारूप के अनुसार, श्रेणी 'ए' प्राप्त करने के लिए, किसी संस्थान को जेएसी रिपोर्ट के भाग-II (शैक्षणिक मानक और अवसंरचना) और भाग-III (पिछली शैक्षणिक लेखापरीक्षा और जेएसी रिपोर्ट की अभ्युक्तियों का अनुपालन) में पृथक रूप से 75 *प्रतिशत* या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होते थे और श्रेणी 'बी' के लिए, 75 *प्रतिशत* से कम परंतु 65 *प्रतिशत*[2] से अधिक अंक प्राप्त करने होते थे।

जेएसी रिपोर्ट में श्रेणी 'सी' (50 *प्रतिशत* से अधिक अंक) प्राप्त करना एनओसी/संबद्धता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है।

---

[1] आवेदक स्व-वित्तपोषित संस्थानों के परिसर का भौतिक दौरा करने के लिए जीजीएसआईपीयू द्वारा सेवानिवृत्त आईएएस/दानिक्स की अध्यक्षता में गठित एक समिति, जिसमें जीजीएसआईपीयू के विषय विशेषज्ञ और संयोजक शामिल होंगे।

[2] 50 *प्रतिशत* से अधिक और 65 *प्रतिशत* तक अंक प्राप्त होने पर श्रेणी 'सी' प्रदान की जाती है। 50 *प्रतिशत* से कम अंक प्राप्त होने पर श्रेणी 'डी' प्रदान की जाती है, जिसके तहत संबंधित आवेदक कॉलेज को प्रवेश निषेध श्रेणी में डाल दिया जाता है।

प्रत्यायन की वर्तमान प्रणाली की अपर्याप्तता, जेएसी की कार्यप्रणाली, उनकी रिपोर्टों की पर्याप्तता तथा आवेदक कॉलेजों द्वारा जेएसी की अभ्युक्तियों के अनुपालन पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(i) जेएसी के मूल्यांकन में कमियां

लेखापरीक्षा ने नमूना-चयनित स्व-वित्तपोषित आवेदक/संबद्ध कॉलेजों में जेएसी द्वारा किए गए मूल्यांकन में निम्नलिखित कमियां देखीं:

(क) शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए **पेरियार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, जसोला** (बी.आर्क. 5 वर्षीय पाठ्यक्रम) से संबंधित जेएसी रिपोर्ट से पता चला है कि मूल्यांकन करते समय प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं और छात्रों का शिकायत तंत्र की उपलब्धता (जो जेएसी रिपोर्ट के प्रारूप का हिस्सा हैं) जैसे मापदंडों को शामिल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि कोई निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था, फिर भी संस्थान को 100 में से 50 अंक दिए गए। इसी प्रकार, संकाय संवर्ग अनुपात और छात्र-शिक्षक अनुपात के लिए भी 100 में से 50 अंक दिए गए, जब कि कॉलेज में कोई संकाय नहीं था। इस प्रकार, जेएसी रिपोर्ट के भाग-II में पेरियार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को दिए गए अंकों का कुल योग 800 में से 536 (67 अंक) था, जब कि यदि सही अंक दिए गए होते, तो यह 1000 में से 386 (536 - 150) होना चाहिए था। परिणामस्वरूप, संस्थान को जेएसी मूल्यांकन के भाग-II में 38.60 के बजाय 67 अंक दिए गए, जिसने इसे श्रेणी 'डी' के बजाय श्रेणी 'बी' में रखा। श्रेणी 'डी' के अंतर्गत आने से आवेदक कॉलेज संबद्धता के लिए अयोग्य हो जाता, परंतु गलत ग्रेडिंग ने उक्त संस्थान को एनओसी और संबद्धता प्राप्त करने दिया।

(ख) इसी प्रकार, शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए चार नए पाठ्यक्रमों के लिए **भारतीय विद्या भवन** (पहली बार आवेदक) से संबंधित जेएसी रिपोर्ट के मामले में, निदेशक की उपस्थिति, संकाय संवर्ग अनुपात और छात्र-शिक्षक अनुपात के लिए शून्य अंक देने के बजाय, क्योंकि कोई निदेशक या संकाय नहीं था, इन मापदंडों को मूल्यांकन में बाहर रखा गया और स्कोरिंग 970[3] के बजाय 670 के अधिकतम अंकों के आधार पर की गई। 970 में से 647.50 अंकों के साथ,

[3] छात्रों के शिकायत निवारण से संबंधित अधिकतम 30 अंकों वाले मापदंड को बाहर रखा गया क्योंकि छात्रों का अभी नामांकन होना बाकी था।

संस्थान का भाग- II का अंक 66.75 (647.50/970) होना चाहिए था, जब कि जेएसी ने 96.64 (647.50/670) अंक दिए थे। परिणामस्वरूप, भारतीय विद्या भवन को जेएसी द्वारा गलती से श्रेणी 'बी' के बजाय श्रेणी 'ए' में रखा गया था।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि चूँकि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए पहली बार भारतीय विद्या भवन को संबद्धता प्रदान की गई थी और पेरियार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के मामले में, शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया था और कोविड-19 महामारी के बाद के प्रभावों को देखते हुए, जेएसी ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए इन दोनों संस्थानों को ग्रेड देते समय स्थिति का समग्र दृष्टिकोण लिया।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि यदि जेएसी द्वारा बताई गई कमियों को संस्थान द्वारा दूर नहीं किया जाता है, तो इससे संस्थान की ग्रेडिंग प्रभावित होगी, जो संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस तय करने का मानदंड है। इसके अतिरिक्त, जेएसी द्वारा पेरियार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और भारतीय विद्या भवन को दी गई गलत ग्रेडिंग के संबंध में स्पष्ट किया गया कि ऐसी ग्रेडिंग जेएसी द्वारा अनुशंसित संस्थान की सीट भर्ती को प्रभावित नहीं करती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों संस्थानों की ग्रेडिंग ने जेएसी तंत्र की निर्धारित प्रक्रिया/प्रारूप का उल्लंघन किया (रिपोर्ट जेएसी के दौरे के दिन अवसंरचना की उपलब्धता या अनुपलब्धता पर आधारित नहीं थी), और उन्हें संबद्धता के योग्य बनाने के लिए अनुचित अंक दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, प्रभावित संस्थानों के लिए स्वीकृत शुल्क संरचना पर प्रतिकूल ग्रेडिंग के प्रभाव के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) डीएचई के नीतिगत दिशानिर्देशों (जनवरी 2016) के खंड 1.1 (iii)(जे) में प्रावधान है कि आवेदक संस्थानों के **भवन दिव्यांग/अशक्त व्यक्तियों** के अनुकूल होने चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2022-23 के लिए जेएसी रिपोर्टों में आवेदक कॉलेजों में दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं/

अवसंरचना की उपलब्धता का उल्लेख केवल प्रतिशत उपलब्धता के संदर्भ में किया गया था, न कि उपलब्ध विशिष्ट सुविधाओं के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त, जेएसी रिपोर्टों के अनुसार, 2018-23 के दौरान 12 में से 10 चयनित संबद्ध कॉलेजों में दिव्यांगजनों के लिए अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। इससे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और डीएचई के नीतिगत दिशानिर्देशों के प्रावधानों के परिकल्पित उद्देश्य में बाधा उत्पन्न हुई, जिसका उद्देश्य पूर्ण समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप दिव्यांगजनों के शैक्षणिक और सामाजिक विकास को अधिकतम करना था।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि यदि जेएसी द्वारा बताई गई कमियों को संस्थान द्वारा दूर नहीं किया जाता है, तो इससे संस्थान की ग्रेडिंग प्रभावित होगी, जो संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस तय करने का मानदंड है। विश्वविद्यालय ने आगे बताया कि उसने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए जेएसी प्रोफार्मा में दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए अलग से अंक शामिल किए हैं।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने सभी संबद्ध संस्थानों/कॉलेजों को दिव्यांगजनों के लिए अपेक्षित सुविधाएं/अवसंरचना को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया है और निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला प्रशासन (नोडल एजेंसी होने के नाते) के साथ भी मामला उठाया जाएगा।

(घ) यूजीसी (विश्वविद्यालयों द्वारा कॉलेजों की संबद्धता) विनियम, 2009 और डीएचई, रा.रा.क्षे.दि.स. के नीतिगत दिशानिर्देशों (मई 2011 और जनवरी 2016) के अनुसार, आवेदक संस्थानों के पास **कम से कम 1.5 एकड़ भूमि** का निर्विवाद स्वामित्व और कब्ज़ा होना चाहिए। साथ ही, जेएसी रिपोर्ट के प्रोफार्मा के भाग-I में निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवेदक संस्थानों द्वारा भूमि के स्वामित्व का प्रावधान है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित 12 स्व-वित्तपोषित संस्थानों में से छह, अर्थात लेखापरीक्षा नमूने के 50 *प्रतिशत* के पास न्यूनतम 1.5 एकड़ क्षेत्रफल की भूमि नहीं थी **(अनुलग्नक 3.1)** जिससे वे संबद्धता प्राप्त करने के लिए अपात्र हो गए। इसके अतिरिक्त, पांचवीं राज्य शुल्क नियामक समिति ने स्व-वित्तपोषित संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करते समय

यह भी पाया (नवंबर 2021) कि 66 संस्थानों में से 42, अर्थात 64 *प्रतिशत*, निर्धारित 1.5 एकड़ से कम भूमि के साथ काम कर रहे थे **(अनुलग्नक 3.2)**।

विभाग ने जीजीएसआईपीयू के उत्तर को दोहराया (मार्च 2025) कि उल्लिखित 42 में से 38 संस्थान डीएचई के नीतिगत दिशानिर्देश जारी होने से पहले (जनवरी 2016) विश्वविद्यालय से संबद्ध थे और जनवरी 2016 में भूमि की न्यूनतम आवश्यकता के लिए एक खंड जोड़ा गया था और इस प्रकार यह सत्र 2016-17 से लागू है।

विश्वविद्यालय का उत्तर गलत है क्योंकि भूमि की न्यूनतम आवश्यकता (यूजीसी विनियम 2009 के अनुसरण में) का खंड मई 2011 के नीतिगत दिशानिर्देशों में भी मौजूद था। इसके अतिरिक्त, चूँकि जीजीएसआईपीयू द्वारा संबद्धताएं समीक्षा अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर प्रदान की जाती थीं, इसलिए 2016-17 से प्रदान की गई संबद्धताओं के लिए इस खंड का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

(ड.) जीजीएसआईपीयू के नियम 24 में यह प्रावधान है कि किसी भी कॉलेज या संस्थान को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास **निर्धारित योग्यताओं वाले शिक्षक और अन्य कर्मचारी** न हों, पात्रता मानदंड पूरे हों और जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक संख्या में उपलब्ध हों।

जीजीएसआईपीयू द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/सूचनाओं से, लेखापरीक्षा ने पाया कि 88 में से 22 अर्थात 25 प्रतिशत संबद्ध स्व-वित्तपोषित संस्थान 13 कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संकाय के बिना चल रहे थे (मार्च 2023)। इन 13 कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी, शिक्षा (बी.एड.), प्रबंधन, विधि और सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम शामिल थे।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 12 स्व-वित्तपोषित कॉलेजों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कई संकाय सदस्यों के पास 2021-22 और 2022-23 के दौरान अपेक्षित योग्यता नहीं थी। 2021-22 में, दो कॉलेजों के 28 *प्रतिशत* एसोसिएट प्रोफेसरों के पास आवश्यक पीएचडी नहीं थी, जब कि 2022-23 में चार कॉलेजों के 19 *प्रतिशत* एसोसिएट प्रोफेसर

पीएचडी के बिना थे। इसी प्रकार, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान, चयनित 12 स्व-वित्तपोषित संबद्ध कॉलेजों में से नौ में 35 *प्रतिशत* सहायक प्रोफेसरों के पास आवश्यक एनईटी योग्यता या पीएचडी नहीं थी, जब कि 2022-23 के दौरान आठ कॉलेजों में यह कमी 17 *प्रतिशत* थी।

निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से कम योग्यता वाले प्राध्यापकों की नियुक्ति न केवल यूजीसी विनियमों का उल्लंघन थी, बल्कि इससे प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता से भी समझौता हुआ।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि यद्यपि भविष्य में अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है, विश्वविद्यालय जेएसी रिपोर्टों और उनके अनुपालन की प्रक्रिया के माध्यम से संबद्ध कॉलेजों में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात और योग्य शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। यह उत्तर तथ्यों से पुष्ट नहीं होता क्योंकि उपलब्ध अभिलेखों की जांच से पता चला है कि कई स्व-वित्तपोषित संस्थानों में आवश्यक योग्यता के बिना शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इसके अतिरिक्त, जेएसी प्रक्रिया में अक्षमताओं पर पूर्ववर्ती पैराग्राफों में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने सभी संबद्ध कॉलेजों को निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किया है।

(ii) जेएसी रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों का गैर-अनुपालन और संबद्ध कॉलेजों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान देखी गई अन्य कमियां

दो चयनित सरकारी सहायता प्राप्त संबद्ध कॉलेजों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (दिसंबर 2023) के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई जेएसी रिपोर्टों के अनुपालन की स्थिति **तालिका 3.2** में दी गई है।

तालिका 3.2: जेएसी रिपोर्टों में उठाए गए मुद्दों का गैर-अनुपालन और अन्य कमियां

क्रम सं.	संस्थान का नाम	जेएसी रिपोर्ट का वर्ष	जेएसी रिपोर्ट के अनुपालन की प्रतिशतता	संस्थान द्वारा हल न किए गए मुद्दे
1.	पन्ना दाई स्कूल ऑफ नर्सिंग[4]	2023-24	55	स्कूल ने (क) कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, अन्य प्रयोगशालाओं की अवसंरचना के उन्नयन और (ख) संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र, भूकंप प्रतिरोध प्रमाणपत्र और अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जैसे अपेक्षित वैधानिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।
2.	डॉ. बीएसए मेडिकल कॉलेज[5]	2022-23	85	अशक्त व्यक्तियों को प्रथम तल तक पहुँचाने के लिए लिफ्ट/रैंप
		2023-24	75	कॉलेज का परिसर चार अस्थायी रूप से निर्मित ब्लॉकों में बनाया गया है और कॉलेज को एक स्थायी कॉलेज भवन की स्थापना सुनिश्चित करनी थी।

भौतिक निरीक्षण के दौरान पाई गई अन्य कमियां इस प्रकार हैं:

पन्ना दाई स्कूल ऑफ नर्सिंग

1. स्कूल का भवन पुराना था, दीवारों में दरारें और सीलन थी। नौवीं (ऊपरी) और सातवीं मंज़िल पर स्थित छात्रावास के कमरे क्षतिग्रस्त स्थिति या उनमें बिजली न होने के कारण छात्रों को आबंटित नहीं किए गए थे।

टूटी और नम दीवारें

2. स्कूल ने मौजूदा अवसंरचना के उन्नयन के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के चिकित्सा निदेशक के साथ मामला उठाया (अक्टूबर 2023), और बताया कि भवन की तीसरी से नौवीं मंज़िलों पर तत्काल निर्माण/मरम्मत की आवश्यकता है।

---

[4] स्कूल को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए पहली बार श्रेणी 'सी' के साथ संबद्धता दी गई। 2023-24 के लिए भी इसे श्रेणी 'सी' प्राप्त हुई।

[5] कॉलेज को 2018-24 की संपूर्ण अवधि के दौरान श्रेणी 'ए' प्राप्त हुई।

3. भवन की छत पर लगाए गए सौर पैनल कार्यात्मक नहीं थे।

डॉ. बीएसए मेडिकल कॉलेज

1. कॉलेज के पास अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं था।

2. पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों और पुस्तकालय सहायकों के पद रिक्त पड़े थे।

3. सभी उपकरणों की ए.एम.सी. समाप्त पाई गई थी।

4. 89 स्वीकृत संकाय पदों में से 58 भरे गए (21 पद संविदात्मक आधार पर भरे गए) तथा 31 संकाय पद (35 *प्रतिशत*) रिक्त रह गए।

जेएसी रिपोर्टों की अनुवर्ती कार्रवाई में उपर्युक्त कमियों के कारण संबद्ध संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जेएसी द्वारा किए गए निरीक्षण अप्रभावी हो गए।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

3.3 प्रक्रिया में कमियां

संबद्धता प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया विलंब और अक्षमताओं से भरी हुई थी। विवरण नीचे दिया गया है।

3.3.1 एनओसी और अन्य संबद्ध मामलों के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों के परिशोधन में विलंब

निजी तौर पर प्रबंधित स्व-वित्तपोषित संस्थानों को एनओसी जारी करने और संबंधित मामलों के लिए, तीन वर्षों के लिए लागू, प्रथम नीतिगत दिशानिर्देश, डीएचई, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा मई 2007 में जारी किए गए थे। बाद में, इन नीतिगत दिशानिर्देशों को मई 2011 और जनवरी 2016 में परिशोधित किया गया (2018-19 तक प्रभावी)। ये दिशानिर्देश जीजीएसआईपीयू से संबद्धता के लिए आवेदक स्व-वित्तपोषित कॉलेजों को सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने/पुनर्वैधीकरण के मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

डीएचई ने जनवरी 2016 के नीतिगत दिशानिर्देशों में परिशोधन/संशोधन हेतु विशेषज्ञों की एक समिति गठित की (जून 2019), जिसने अक्टूबर 2019 में डीएचई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट तब से सरकार के विचाराधीन है और नीतिगत दिशानिर्देशों में परिशोधन पर निर्णय दिल्ली सरकार द्वारा अभी (दिसंबर 2023 तक) लिया जाना बाकी था। परिणामस्वरूप, शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए लागू दिशानिर्देशों को अगले 4 वर्षों अर्थात शैक्षणिक सत्र 2023-24 तक के लिए जबरन आगे बढ़ाया जा रहा था, जिससे छात्र पाठ्यक्रम परिशोधन, उन्नत अवसंरचना सुविधाओं आदि के लाभ से वंचित हो रहे थे।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि नीतिगत दिशानिर्देशों में परिशोधन के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें रा.रा.क्षे. दिल्ली के उपराज्यपाल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा रही थीं।

3.3.2 संबद्धता बोर्ड का गठन और कार्यप्रणाली

जीजीएसआईपीयू अधिनियम की धारा 21 में प्रावधान है कि एक संबद्धता बोर्ड (बीओए) का गठन किया जाएगा, जिसमें कुलपति और प्रबंधन बोर्ड द्वारा नामित अधिकतम सात सदस्य शामिल होंगे। यह बोर्ड कॉलेजों और संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा। बीओए का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है और इसलिए इसे हर तीन वर्ष में पुनर्गठित और अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-19 और 2021-22 के दौरान प्रबंधन बोर्ड द्वारा सदस्यों के नामांकन के अनुमोदन के बाद बीओए की अधिसूचना में दो महीने से अधिक का विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बीओए की बैठकें वार्षिक शैक्षणिक सत्र शुरू होने की निर्धारित तिथि 1 अगस्त के बाद दो से सात महीने के विलंब से आयोजित की गईं। इससे समीक्षाधीन संपूर्ण अवधि के दौरान पूरी संबद्धता प्रक्रिया में चार से 10 महीने का विलंब हुआ।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने भविष्य में अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया है।

3.3.3 जेएसी रिपोर्ट के बिना गुरु तेग बहादुर चतुर्थ शताब्दी इंजीनियरिंग कॉलेज को संबद्धता प्रदान की गई

गुरु तेग बहादुर चतुर्थ शताब्दी इंजीनियरिंग कॉलेज ने मई 2022 में अपने बी.टेक (सीएसई) पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता हेतु आवेदन किया। तथापि, आवेदन की अंतिम तिथि (31 मार्च 2022) समाप्त होने के कारण, जीजीएसआईपीयू द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया (जून 2022)। इसके बाद संस्थान ने सचिव, डीटीटीई (12 जुलाई 2022) और उपमुख्यमंत्री (1 अगस्त 2022) से अनुरोध किया। परिणामस्वरूप, डीटीटीई ने 25 अगस्त 2022 को एक अनंतिम एनओसी जारी की, जो जेएसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उसमें बताई गई कमियों के अनुपालन के अधीन थी। एनओसी जारी होने के बाद, जेएसी ने परिसर का दौरा किया (1 सितंबर 2022) और उसी दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जीजीएसआईपीयू ने 13 दिसंबर 2022 को संस्थान को संबद्धता प्रदान की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीटीटीई द्वारा जेएसी की रिपोर्ट के बिना एनओसी, भले ही वह अनंतिम हो, जारी करने से संबद्धता प्रक्रिया बाधित हुई क्योंकि इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि संस्थान ने संबद्धता की किसी भी शर्त को पूरा किया था। यहाँ तक कि उस समय संस्थान द्वारा संबद्धता शुल्क भी जमा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जेएसी ने कुछ कमियों की ओर इशारा किया, जैसे कि संकाय की भर्ती न होना और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं का अभाव, जिन्हें एनओसी की शर्तों के अनुसार 30 सितंबर 2022 तक ठीक किया जाना था। तथापि, जीजीएसआईपीयू ने अनुपालन की माँग तभी की जब संस्थान ने 2023-24 सत्र की संबद्धता के लिए आवेदन किया।

विभाग ने जीजीएसआईपीयू के उत्तर को दोहराया (मार्च 2025) कि गुरु तेग बहादुर चतुर्थ शताब्दी इंजीनियरिंग कॉलेज को संबद्धता सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अनुपालन के बाद प्रदान की गई है। तथापि, उत्तर के साथ कोई सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.3.4 संबद्धता प्रक्रिया में विलंब

विश्वविद्यालय का अध्यादेश 1 कॉलेजों और संस्थानों की संबद्धता के प्रस्तावों पर विचार करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी जनवरी 2016 के नीतिगत दिशानिर्देशों के खंड 18 के अनुसार, अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने/पुनर्वैधीकरण और स्व-वित्तपोषित संस्थानों/ कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने की समय-सारणी **तालिका 3.3** में दी गई है।

तालिका 3.3: संबद्धता प्रक्रिया की समय-सीमा

क्रम सं.	नियत कार्य	समय-सीमा
1.	जीजीएसआईपीयू में संबद्धता के लिए आवेदन प्राप्त करना	पिछले शैक्षणिक वर्ष के दिसंबर तक
2.	संयुक्त मूल्यांकन समिति (जेएसी) के दौरों की शुरुआत	फरवरी से
3.	जीजीएसआईपीयू द्वारा जेएसी रिपोर्ट सरकार को अग्रेषित करना	जीजीएसआईपीयू में जेएसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 3 दिनों के अंदर
4.	सरकार द्वारा एनओसी जारी करना	जीजीएसआईपीयू से जेएसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर
5.	विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश को अंतिम रूप देना और जीजीएसआईपीयू द्वारा संबद्धता जारी करना	मई के अंत तक
6.	शैक्षणिक सत्र की शुरुआत	1 अगस्त

शैक्षणिक वर्ष 2020-22 (दो वर्ष) के दौरान, कोविड-19 महामारी के कारण, अनापत्ति प्रमाणपत्र/संबद्धता स्वतः ही बढ़ गई थी। शैक्षणिक वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2022-23 के लिए 12 चयनित स्व-वित्तपोषित कॉलेजों से संबंधित अभिलेखों की जाँच से पता चला कि-

- जीजीएसआईपीयू में संबद्धता के लिए आवेदन दो से चार महीने के विलंब से प्राप्त हुए।
- संयुक्त मूल्यांकन समिति ने दो से पांच महीने के विलंब से 11 चयनित कॉलेजों के परिसर का दौरा किया।
- शैक्षणिक वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2022-23 के लिए सभी 12 चयनित स्व-वित्तपोषित कॉलेजों में डीएचई द्वारा एनओसी जारी करने/पुनर्वैधीकरण करने में 15 दिनों से लेकर चार महीने तक का विलंब हुआ।

- जीजीएसआईपीयू ने स्व-वित्तपोषित संस्थानों को संबद्धता 1 अगस्त की निर्धारित समय-सीमा से नौ महीने तक के विलंब से प्रदान की। इस प्रकार, इन संस्थानों ने उन वर्षों में बिना संबद्धता के ही शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया, जिससे प्रक्रिया का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए संबद्धता प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया है और डीएचई ने भी समय पर एनओसी जारी करने के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया है।

3.3.5 लंबी अवधि के बजाय प्रति वर्ष एनओसी जारी करना/संबद्धता प्रदान करना

डीएचई के नीतिगत दिशानिर्देशों के खंड 3 और जीजीएसआईपीयू के अध्यादेश 1 के खंड 4 में उन स्व-वित्तपोषित संस्थानों को लंबी अवधि के लिए एनओसी जारी करने और नियमित संबद्धता प्रदान करने का प्रावधान है, जो मास्टर प्लान दिल्ली (एमपीडी) 2021 के अनुसार अनुरूप क्षेत्रों में स्थित थे। संबद्धता प्रदान करने में विलंब को देखते हुए यह विशेष रूप से प्रासंगिक है जैसा कि ऊपर **पैरा 3.3.4** में चर्चा की गई है।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल वार्षिक अनंतिम एनओसी और संबद्धता ही उन संस्थानों को दी जा रही थी जो अन्यथा विस्तारित एनओसी के लिए पात्र थे, जिससे इन संस्थानों को प्रत्येक वर्ष पूरी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि आवेदक संस्थानों को दीर्घकालिक एनओसी और स्थायी संबद्धता प्रदान करने का मामला विचाराधीन है।

इस प्रकार, जेएसी के कामकाज में अपर्याप्तता और प्रक्रियागत विलंबों से संकेत मिलता है कि सरकार/जीजीएसआईपीयू वर्तमान तंत्र के माध्यम से संबद्ध संस्थानों में पर्याप्त भौतिक या शैक्षणिक अवसंरचना को सुनिश्चित नहीं कर सका, न ही वह प्रक्रिया में तेज़ी ला सका।

3.4 जीजीएसआईपीयू द्वारा संबद्ध संस्थानों की निगरानी

यह सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कि जिन सभी संस्थानों को संबद्धता प्रदान की जाती है, उनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं, जीजीएसआईपीयू के अध्यादेश 1 और संविधि 24 में इन संस्थानों की योजना और विकास, आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने, प्रवेश, शुल्क आदि को विनियमित करने की ज़िम्मेदारियां विश्वविद्यालय पर डाली गई हैं। लेखापरीक्षा ने इन क्षेत्रों में कमियों को देखा, जिनकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

3.4.1 कॉलेज विकास परिषद का गठन नहीं किया गया

परिशोधित यूजीसी दिशानिर्देशों (अगस्त 1985) के अनुसार, विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों की उचित योजना और एकीकृत विकास सुनिश्चित करने तथा कॉलेजों को आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय में एक उपयुक्त निकाय के रूप में कॉलेज विकास परिषद (सीडीसी) की स्थापना कर सकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीजीएसआईपीयू ने कॉलेज विकास परिषद की स्थापना नहीं की थी, जिससे हितधारकों को संबद्ध कॉलेजों की योजना और पर्यवेक्षण के समन्वय हेतु एक मंच से वंचित होना पड़ा।

विभाग ने जीजीएसआईपीयू के उत्तर को दोहराया (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय अधिनियम में कॉलेज विकास परिषद की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु विश्वविद्यालय सीडीसी की तरह एक केंद्रीकृत समिति की स्थापना की संभावना की खोज करेगा।

3.4.2 संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश और स्व-वित्तपोषित संस्थानों में शुल्क संरचना का विनियमन

संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश और स्व-वित्तपोषित संस्थानों में शुल्क संरचना से संबंधित मामलों को सरकार द्वारा दिल्ली व्यावसायिक कॉलेज और संस्थान (कैपिटेशन शुल्क का निषेध, प्रवेश का विनियमन, गैर-शोषणकारी शुल्क का निर्धारण और गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय)

अधिनियम और नियमावली 2007 के अनुसार विनियमित किया जाता है। अधिनियम 2007 के कार्यान्वयन में देखी गई कमियां इस प्रकार हैं:

(i) प्रवेश नियामक समिति के गठन में विलंब

2007 के अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि सरकार संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियों के साथ एक प्रवेश नियामक समिति (एआरसी) का गठन करेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एआरसी का गठन 2022-23 तक नहीं किया गया था। इसके बाद, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों (मार्च 2023) के अनुपालन में, इसे 16 वर्ष बीत जाने के बाद अप्रैल 2023 में गठित किया गया। इस प्रकार, प्रवेश की प्रक्रिया का विनियमन, इसकी शिकायतों को संबोधित करने का प्रबंधन 2007 से जीजीएसआईपीयू द्वारा किया जाना था। अपने गठन के बाद भी, एआरसी ने मुद्दों को स्वयं संबोधित करने के बजाय जीजीएसआईपीयू को प्रवेश संबंधी शिकायतों को संबंधित करने का काम सौंप दिया। अप्रैल 2023 से, एआरसी में 65 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 39 का जांच के बाद निपटारा कर दिया गया, तीन में कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी और 23 (35 *प्रतिशत*) अक्तूबर 2023 तक लंबित थीं।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि एआरसी का गठन किया गया है और वह प्रभावी ढंग से काम कर रही है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उत्तर तथ्यात्मक नहीं है और एआरसी का कामकाज कभी-कभार होने वाली बैठकों तक ही सीमित रहा है और शैक्षणिक सत्र 2023-24 या उसके बाद की प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई ठोस नीतिगत निर्णय या दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(ii) राज्य शुल्क नियामक समिति द्वारा अनुशंसित शुल्क दरों की अधिसूचना में विलंब

अधिनियम 2007 की धारा 6 के अनुसार, सरकार ने स्व-वित्तपोषित संबद्ध संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु एक राज्य शुल्क नियामक समिति (एसएफआरसी) का गठन किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2017-20 के लिए एसएफआरसी का गठन केवल जनवरी 2017

में किया गया था, परंतु उसे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में लगभग दो वर्ष (दिसंबर 2018) लग गए।

इसके बाद डीएचई ने परिशोधित शुल्क दरों को अधिसूचित करने में (अगस्त 2019) आठ महीने का समय लिया और इस प्रकार एसएफआरसी द्वारा 2017-20 के लिए अनुशंसित शुल्क दरों को शैक्षणिक वर्ष 2019-22 के लिए लागू करना पड़ा था और एसएफआरसी की पूर्व सिफारिशों के अनुसार 2014-17 के लिए लागू दरों को दो और वर्षों अर्थात 2017-19 के लिए बढ़ाना पड़ा था।

शुल्क दरों के परिशोधन में विलंब के कारण स्व-वित्तपोषित संबद्ध कॉलेजों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण लागू शुल्क के संबंध में मुकदमेबाज़ी शुरू हो गई तथा उपाधि प्रदान करने के बाद बढ़े हुए शुल्क का भुगतान न करने के डर से इन संस्थानों द्वारा उपाधि रोक ली गई।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीएचई ने 2022-25 के लिए 5वें एसएफआरसी की शुल्क सिफारिश को अधिसूचित कर दिया है और 2025-28 के लिए 6वें एसएफआरसी का भी गठन किया गया है।

3.4.3 संबद्ध कॉलेजों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू न करना

विश्वविद्यालय के क़ानून 24 में प्रावधान है कि संबद्ध कॉलेज या संस्थान के शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारियों की परिलब्धियां विश्वविद्यालय में संबंधित पदों के लिए निर्धारित परिलब्धियों के अनुसार होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, डीएचई ने जीजीएसआईपीयू और उससे संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतनमानों में परिशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग (एआईसीटीई और यूजीसी योजनाओं के अंतर्गत) की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया (अगस्त 2018)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 में से 9 चयनित स्व-वित्तपोषित संस्थान अपने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन और भत्ते दे रहे थे, जब कि एक संस्थान पांचवें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान कर रहा था। एक संस्थान के संबंध में इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

केवल एक संस्थान सातवें वेतन आयोग (2021-22 से) के मानदंडों के अनुसार भुगतान कर रहा था।

विभाग ने विश्वविद्यालय के उत्तर को दोहराया (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों के दिन-प्रति दिन के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करता है, परंतु जेएसी रिपोर्टों और उनके अनुपालन के तंत्र के माध्यम से संबद्ध कॉलेजों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की परिलब्धियों को सुनिश्चित करता है।

उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के लिए विशिष्ट नहीं है। जेएसी प्रक्रिया की अप्रभाविता से संबंधित मुद्दों पर पिछले पृष्ठों में विस्तार से चर्चा की गई है। इस प्रकार, चयनित 12 स्व-वित्तपोषित संबद्ध कॉलेजों में से 10 कॉलेज अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते नहीं दे रहे थे।